Single-use plastic BAN

एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पर बैन (प्रतिबंध)

व्यापारों के लिए संदर्शिका

1 जून से:

हल्के भार वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग

1 नवम्बर से:

एक बार प्रयोग की जाने वाली स्ट्रा, स्टरर और कटलरी

एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लेटें और कटोरियाँ

विस्तृत पॉलीस्टाइनिन फूडवेयर और कप

*कुछ निश्चित परिवेशों में छूट लागू होगी ताकि विकलाँगता या चिकित्सीय आवश्यकता से ग्रस्त लोगों को एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक स्ट्रा की स्प्लाई देनी सक्षम की जा सके।

बैन एक बार प्रयोग की जाने वाली कॉटन बड्स और माइक्रोबीड्स वाले निजी देखरेख उत्पाद जिन्हें लगाने के बाद पानी से धोकर उतारा जाना चाहिए, जैसे कि क्लीन्सर और एक्सफोलिएंट, पर भी बैन लागू है।

Single-use plastic BAN

National Retail Association

कौन सी वस्तुओं पर बैन है?

NSW सरकार 2022 में 2 चरणों में कुछ निश्चित प्लास्टिक वस्तुओं को बैन कर रही है।

1 जून 2022 से,

- हल्के भार वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग बैन कर दिए जाएँगे।

1 नवम्बर 2022 से, निम्नलिखित वस्तुएँ बैन कर दी जाएँगी:

- एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक स्ट्रा और स्टरर
- एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक कटलरी
- एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक प्लेटें और गिर कर छिलकने से रोकने वाली लिड वाली कटोरियाँ
- विस्तृत पॉलीस्टाइनिन (EPS) से बने फूडवेयर और कप
- एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की कॉटन बड्स
- प्लास्टिक माइक्रोबीड्स वाले निजी देखरेख उत्पाद जिन्हें लगाने के बाद पानी से धोकर उतारा जाना चाहिए।

*कुछ निश्चित परिवेशों में छूट लागू होगी ताकि विकलाँगता या चिकित्सीय आवश्यकता से ग्रस्त लोगों को एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक स्ट्रा की स्प्लाई देनी सक्षम की जा सके।

बैन सभी व्यापारों और लाभ-निरपेक्ष संस्थाओं पर लागू है, और अनुपालन न करने की स्थिति में अधिकतम $110,000 तक के जुर्माने लागू हैं।

बैन लागू होता है चाहे वस्तुएँ एक-एक करके या फिर पैकेट में स्प्लाई की गई हों।

बैन किसपर लागू है?

यह ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति व्यापार या गतिविधि करते समय NSW में प्रतिबंधित वस्तु की सप्लाई न करे।

बैन निम्नलिखित पर लागू है:

- रिटेल या हॉस्पिटेलिटी व्यापार जैसे कि रेस्टोरेंट, कैफे, बॉर, होटल, टैकअवे फूड आउटलेट, पार्टी सप्लाई स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, सुपरमार्केट, मार्केट स्टॉल्स, ऑनलाइन स्टोर, और कोई अन्य वाणिज्यिक व्यापार

- NSW में प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई करने वाले विनिर्माता, आपूर्तिकार, वितरक और थोक विक्रेता – इस क्षेत्र के लिए जुर्माने दुगने हैं

- दान, खेलकूद, शिक्षा या सामुदायिक प्रयोजनों के लिए कोई गतिविधि करने वाले किसी व्यक्ति/संस्था पर, जैसे कि अपनी भोजन सेवा के भाग के तौर पर या चंदा इकट्ठा करने के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएँ सप्लाई करने वाले सामुदायिक समूह, दान-संस्था, सरकारी निकाय, लाभ-निरपेक्ष संस्था, शिक्षा प्रदाता, खेलकूद समूह या धार्मिक निकाय।

अपराध क्या है?

बैन के लागू होने पर, **Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021** के अधीन निम्नलिखित काम करना एक अपराध होगा:

- बैन की गई प्लास्टिक वस्तु को सप्लाई करना

- बैन की गई वस्तु के बारे में झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी देना (जानबूझकर या चूक करके)

- बंद करने या अनुपलान नोटिस की पालना करने में विफल होना।

बैन की गई वस्तु की **सप्लाई** में शामिल है (चाहे इसके लिए शुल्क लिया जाता है या नहीं लिया जाता है):

- बेचना, आपूर्ति, पुन:आपूर्ति या वितरण

- सप्लाई के प्रयोजन के लिए प्राप्त करना या रखना

- सप्लाई करने की पेशकश करना (जैसे कि विज्ञापन, वेबसाइट्स और पुस्तिकाओं में)

- किसी व्यक्ति को वस्तु डिस्पले करना, प्रदान करना या उसके लिए उपलब्ध करना (जैसे कि ऑन-काउंटर तक पहुँच देकर)।

NSW के बाहर किसी व्यक्ति को बैन की गई वस्तु की सप्लाई करना अपराध नहीं है, परन्तु हम सुझाव देते हैं कि दूसरे अधिकार-क्षेत्रों में भी ऐसे प्रतिबंधों की जांच की जाए।

इसे लागू कैसे किया जाएगा?

सरकार व्यापारों और संगठनों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि वे अपने दायित्व समझते हैं।

नेशनल रिटेल एसोसिएशन (NRA) को बैन के बारे में और अधिक सीखने के लिए व्यापारों, आपूर्तिकर्ताओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है।

अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी NSW EPA की होगी। अधिनियम कार्यान्वयन साधनों के व्यापक प्रकार प्रदान करता है जिनमें जुर्माने के नोटिस जारी करना, अपराधों के लिए मुकदमा चलाना और आपूर्तिकारों या अधिभोगियों को अनुपालन नोटिस जारी करना शामिल है।

जुर्माने लागू हैं, कॉर्पोरेशन के लिए अधिकतम $55,000 के न्याय जुर्माने और किसी व्यक्ति-विशेष के लिए अधिकतम $11,000। ये जुर्माने किसी विनिर्माता, थोक विक्रेता या वितरक के लिए दुगने हैं।

Single-use plastic BAN

National Retail Association

1 जून 2022 से प्रतिबंधित

हल्के भार वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग

बैन इनपर लागू है: हैंडल वाले हल्के भार वाले शॉपिंग बैग जो बैग के किसी भाग पर घनत्व में 35 माइक्रोन या इससे कम हों, इनमें कम्पोस्टेबल या 'डिग्रेडेबल' प्लास्टिक से बने बैग शामिल हैं।

बैन इनपर लागू नहीं है: अन्य बैग, जैसे कि बैरियर/उत्पाद बैग, बिन लाइनर, जानवरों के मल के लिए प्रयोग वाले बैग, दवाईयों के अपशिष्ट के लिए प्रयोग वाले बैग, या सीलयुक्त उत्पाद पैकेजिंग।

सबसे पहले, यह विचार करें कि क्या आपको हर खरीद के लिए एक शॉपिंग बैग की सप्लाई की ज़रूरत है। यदि अधिकांश ग्राहक केवल कुछ वस्तुएँ ही खरीदते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें बैग की ज़रूरत न ही हो। आप माल के बक्सों का दोबारा प्रयोग कर सकते/सकती हैं।

यदि आप हल्के भार वाले प्लाटसिक बैगों की सप्लाई करने का चयन करते/करती हैं, उन बैगों के लिए सुझाव देता है जिन्हें रिसाइक्ल की गई सामग्री से बनाया जाता है और जो ज़रूरत से कहीं अधिक मोटे होते हैं (जैसे कि, 50 माइक्रोन)।

इसके बाद, पुन:प्रयोग किए जाने वाले बैग बेचने पर विचार करें, जैसे कि फेब्रिक, हेसियन, जूट या चिलर बैग। ग्राहकों को अपने खुद के पुन:प्रयोग बैग लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

'पुन:प्रयोग' का लेबल लगा लेना ही अनुपालन करने का प्रमाण नहीं है।

अपने आपूर्तिकर्ता से बैग के घनत्व की लिखित पुष्टि मांगें।

इसके बाद, यदि फिर भी आपको डिस्पोज़ेबल बैग की सप्लाई की ज़रूरत हो, तो सुस्थित तौर पर स्रोत किए गए या रिसाइकल पेपर बैग पर विचार करें।

कम्पोस्टेबल या 'पौधा-आधारित' प्लास्टिक से बने हल्के भार वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग बैन में शामिल हैं।

1 नवम्बर 2022 से प्रतिबंधित

- **एक बार प्रयोग की जाने वाली स्ट्रा, स्टरर और कटलरी**
  (इसमें कांटे, चम्मन, छुरियाँ, चॉपस्टिक, स्पलेड, फूड पिक शामिल हैं)

- **एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लेटें और कटोरियाँ**
  (गिर के छिलकने से रोकने वाली लिड वाली कटोरियों को छोड़कर)

- **विस्तृत पॉलीस्टाइनिन फूडवेयर और कप**
  (जैसे कि क्लेमशेल्स, कप)

सुस्थिर विकल्पों का चयन करना

सबसे पहले:

इस पर विचार करें कि क्या आपको वास्तव में इन सभी चीज़ों की सप्लाई करने की ज़रूरत है। यदि कई ग्राहक आपका भोजन वापस घर या कार्यालय ले जाते हैं, तो आप डिस्पोज़ेबल की पेशकश न करके या निवेदन करने पर केवल स्ट्रा या बर्तनों की पेशकश करके धन और पर्यावरण की बचत कर सकते/सकती हैं।

इसके बाद:

पुन:प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर ग़ौर करें। यदि आप स्टोर में डाइनिंग की पेशकश करते/करती हैं, तो धातु, शीशे या चीनी मिट्टी से बनी पुन: प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर ग़ौर करें। आप पुन:प्रयोग किए जाने वाले बर्तन बेचना और अपने ग्राहकों को उनके खुद के ऐसे बर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी चाह सकते/सकती हैं।

इसके बाद:

यदि अभी भी आपको डिस्पोज़ेबल वस्तुओं की ज़रूरत है, तो अपने आपूर्तिकर्ता के साथ गैर-प्लास्टिक विकल्पों के बारे में बात करें जैसे कि पेपर स्ट्रा, लकड़ी या बांस की कटलरी, या गैर-लेपित प्लेटें और क्लेमशेल जो गत्ते या गन्ने के गूदे से बनी हों।

छूट

बैन निम्नलिखित पर लागू **नहीं** होता है:

- सर्व किए जाने वाले बर्तन या सर्विंगवेयर (जैसे कि टोंग्स, प्लेटर्स)
- कोई अन्य प्लास्टिक कप (सिर्फ EPS कपों पर बैन है)
- पहले से पैक की गई वस्तुएँ जिन्हें एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य या पेय पदार्थ की पैकेजिंग में एकीकृत किया गया हो (जैसे कि जूस बॉक्स से जुड़ी स्ट्रा, या फ्रोजन मील में कटोरी)
- कच्चे उत्पादों (जैसे कि कच्चा मीट, सीफूड, फल या सब्जियाँ) के लिए प्रयोग की जाने वाली EPS ट्रे
- एक व्यापार से दूसरे व्यापार पर परिवहन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले EPS कंटेनर।

स्ट्रा के लिए छूट:

जो व्यापार खाद्य या पेय पदार्थ सर्व करते हैं, वे विकलाँगता या चिकित्सीय ज़रूरत से ग्रस्त किसी व्यक्ति को काउंटर के पीछे से एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक स्ट्रा उपलब्ध करवा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि ये डिप्स्पले पर न हों या ग्राहकों के लिए सुलभ न हों।

कॉटन बड्स और माइक्रोबीड्स

बैन एक बार प्रयोग की जाने वाली कॉटन बड्स और माइक्रोबीड्स वाले निजी देखरेख उत्पाद जिन्हें लगाने के बाद पानी से धोकर उतारा जाना चाहिए, जैसे कि क्लीन्सर और एक्सफोलिएंट, पर भी बैन लागू है।

आप कागज, लकड़ी या बांस से बने कॉटन बड्स का प्रयोग कर सकते/सकती हैं। आप रिपलेस किए जाने योग्य बड्स को पुन:प्रयोग की जाने वाली स्टिक्स के स्थान पर खरीद सकते/सकती हैं।

प्लास्टिक माइक्रोबीड्स को Bead Recede के नेतृत्व में स्वैच्छिक औद्योगिक अनुबंध के अधीन 99% प्रभावित उत्पादों से अधिक से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। NSW बैन यह सुनिश्चित करेगा कि कुछ शेष उत्पाद इन नुकसानदायक संघटकों का प्रयोग करना बंद करते हैं।

NSW GOVERNMENT

Single-use plastic BAN

National Retail Association

कम्पोस्टेबल प्लास्टिक विकल्पों की अनुमति नहीं है।

कम्पोस्टेबल प्लास्टिक स्ट्रा, कटलरी, कटोरियों और प्लेटों की NSW बैन के अधीन अनुमति नहीं है।

बायोप्लास्टिक या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक क्या होते हैं?

- बायोप्लास्टिक पेट्रोलियम की बजाए संशोधित पौधा-आधारित सामग्री से बने प्लास्टिक होते हैं।
- इन वस्तुओं को अक्सर 'पौधा-आधारित प्लास्टिक, 'कम्पोस्टेबल प्लास्टिक' , बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक' या 'प्लास्टिक-फ्री' कहा जाता है।
- एक उदाहरण पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) है, जिसे आमतौर पर मकई स्टार्च या गन्ने से संशोधित किया जाता है।
- वाणिज्यिक खाद सुविधा में विशिष्ट संशोधन के बिना अधिकांश बायोप्लास्टिक वस्तुएँ बायोडिग्रेड नहीं होती हैं।
- इसका मतलब यह है कि पर्यावरण में कूड़े के तौर पर फेंके जाने या लैंडफिल में भेजे जाने पर ये आइटम बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। वे भी परंपरागत प्लास्टिक के जैसे एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं।

मैं कैसे सुनिश्चित करूँ कि मेरी वस्तुओं में कम्पोस्टेबल प्लास्टिक शामिल नहीं हैं?

यदि कोई वस्तु प्लास्टिक जैसी दिखती या महसूस होती है परन्तु इसके 'प्लास्टिक-फ्री' , 'बायोडिग्रेडेबल', 'कम्पोस्टेबल', 'डिग्रेडेबल' या 'प्लांट-बेस्ड (पौधा-आधारित)' होने का दावा किया जाता है, तो इसमें बॉयोप्लास्टिक होने की संभावना है।

लोगो, लेबल लगाना या उत्पाद क्लेम अनुपालन के प्रमाण नहीं हैं।

अपने आपूर्तिकर्ता से लिखित में यह पुष्टि देने के लिए कहें कि वस्तुओं में किसी प्रकार का पॉलीमर, प्लास्टिक या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक शामिल नहीं है।

ध्यान दें: कम्पोस्टेबल प्लास्टिक सहित प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी प्रदान करना एक अपराध है।

प्रतिबंधित वस्तुओं को डिस्पले करना

NSW में आपूर्ति के लिए किसी प्रतिबंधित वस्तु को प्राप्त करने, रखने, विज्ञापित या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।

हम व्यापारों को सुझाव देते हैं कि वे:

- प्रतिबंध की तिथि के बाद स्थल पर प्रतिबंधित भंडार को न रखें बशर्ते कि इनका प्रयोजन NSW के बाहर सप्लाई के लिए हो।
- सुनिश्चित करें कि वेबसाइट्स, ब्रोशर और सेल्स करने वाले लोग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि NSW में कौन से उत्पाद प्रतिबंधित हैं।
- वेबसाइट सेटिंग्स को बेहतर बनाते हैं ताकि लोकेशन को सीमित किया जाए और/या प्रत्येक प्रतिबंधित उत्पाद पर एक वक्तव्य शामिल करें यह दर्शाते हुए कि यह 'NSW में सप्लाई के लिए उपलब्ध नहीं है' ।

वैकल्पिक: राष्ट्रीय व्यापार अन्य स्थानों में प्रतिबंधों के विवरण भी शामिल करना चाह सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए, NRA से संपर्क करें।

अपने आपूर्तिकर्ता से पूछे जाने वाले सवाल

विकल्पों के लिए आर्डर देने से पहले, अपने आपूर्तिकर्ता से लिखित में इन सवालों का जवाब देने के लिए कहें:

- **क्या ये वस्तुएँ 2022 में लागू हुए NSW प्लास्टिक बैन के साथ अनुपालन करती हैं?**
- **क्या आप पुष्टि कर सकते/सकती हैं कि इनमें किसी अन्य प्रकार का पॉलीमर, प्लास्टिक या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक नहीं है?**
- **क्या मेरे प्लास्टिक शॉपिंग बैगों में बैग के सभी भागों में 35 माइक्रोन से अधिक घनत्व है?**

यदि आपका आपूर्तिकर्ता इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता है, तो हो सकता है कि वस्तुएँ प्रतिबंधित हों।

ध्यान दें: EPS कंटेनरों या कपों के विकल्प प्लास्टिक के अन्य कपों से बनाए जा सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए, नेशनल रिटेल एसोसिएशन या NSW EPA से बात करें।

Single-use plastic BAN

National Retail Association

NSW GOVERNMENT

1 समय से पहले योजना बनाएँ

समय से पहले योजना बनाएँ और शुरूआत में अवस्थांतर करें।

- सुनिश्चित करें कि आपके आपूर्तिकार, टीम के सदस्य और ग्राहक परिवर्तनों के लिए तैयार हैं।
- अब प्रतिबंधित वस्तुओं का ऑर्डर करना बंद करें और मौजूदा भंडार का प्रयोग करें। बैन की अंतिम समयसीमा के बाद आप प्रतिबंधित भंडार की आपूर्ति करना जारी नहीं रख सकते/सकती हैं भले ही आप इन तिथियों से पहले इन्हें खरीद लें।
- भंडार की संख्या का पता लगाएँ और अनुमान लगाएँ कि अपनी प्रतिबंधित वस्तुएँ समाप्त करने में कितना समय लगेगा।
- यदि आपके पास भंडार अत्यधिक संख्या में है, तो अपने आपूर्तिकर्ता से बात करें क्योंकि हो सकता है कि रिटर्न या अदला-बदली स्वीकार करते हों।
- हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य में अत्यधिक भंडार का स्थानांतरण करने में सक्षम हों (परन्तु दूसरे राज्यों में समान प्रतिबंधों से अवगत रहें)
- यदि आप प्रतिबंधित वस्तुओं को समय रहते समाप्त, रिटर्न या स्थानांतरित न कर सकें, तो किसी स्थानीय रिसाइक्लर से संपर्क करके पता करें कि क्या वे इनमें से कुछ वस्तुओं को स्वीकार कर सकते हैं।

2 अपने आपूर्तिकर्ता से बात करें

अपने श्रेष्ठ दीर्घावधि के विकल्पों की लाभ-हानि के बारे में सोचें

याद रखें, बैन से परे भी, उपभोक्ता अधिक से अधिक तौर पर अधिक सुस्थिर विकल्पों की मांग कर रहे हैं।

- सबसे पहले, यह विचार करें कि क्या आपको बैग और कटलरी जैसी वस्तुएँ सप्लाई करना जारी रखने की ज़रूरत है यदि आपके ग्राहकों को असल में उनकी ज़रूरत नहीं है।
- इसके बाद, यह सोचें कि क्या आप पुन:प्रयोग किए या धोए जाने वाले विकल्पों का प्रयोग कर सकते/सकती हैं और आपके द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं की संख्या को कम कर सकते हैं।
- इसके बाद, यदि फिर भी आपको डिस्पोज़ेबल वस्तुओं की ज़रूरत हो, तो सुनिश्चित करें कि वे अनुपालन करती हैं और भोजन सुरक्षित हैं।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई करना या किसी प्रतिबंधित वस्तु के बारे में झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी देना एक अपराध है, चाहे वह वस्तु प्रतिबंधित हो या न हो। इसमें जानकारी को अपने पास छिपाना या प्रदान न करना शामिल है।

3 अपनी टीम और ग्राहकों को सूचित करें

अपने कर्मचारियों की बदलावों की तैयारी करने में सहायता करें।

प्रतिबंध के बारे में ग्राहकों के सवालों के लिए अपने कर्मचारियों को तैयार करें और आपने जो बदलाव लाने का फैसला लिया है, उनके बारे में उन्हें बताएँ।

सुनिश्चित करें कि फूड और बेवरेज़ कर्मचारियों को यह पता है कि वे निवेदन किए जाने पर किसी विकलाँग व्यक्ति के लिए प्लास्टिक स्ट्रा उपलब्ध करा सकते हैं (प्रमाण की ज़रूरत के बिना) परन्तु स्ट्रा डिस्पले पर नहीं होनी चाहिए।

अपने ग्राहकों को समय रहते सूचित करें।

अपने ग्राहकों को बैन की सूचना दें और आप जो बदलाव करेंगे, उनके लिए उन्हें तैयार करें। हम सुझाव देते हैं कि सभी व्यापार प्रतिबंध की तिथियों से समय रहते संकेत-चिन्ह लगाएँ ताकि ग्राहकों के पास समायोजन करने का समय हो।

संकेत-चिन्ह (अनुवाद किए संकेत-चिन्हों सहित) इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: dpie.nsw.gov.au/plastics-ban

---

क्या आपको सहायता की ज़रूरत है?

NSW सरकार की ओर से, नेशनल रिटेल एसोसिएशन रिटेलरों, आपूर्तिकर्ताओं और सामुदायिक संगठनों की सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और गतिविधियाँ प्रदान कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

- तथ्यपत्रक
- संकेत-चिन्ह और बिक्री केन्द पर सामग्रियाँ
- अनुवादित संसाधन
- हजारों की तादाद में स्टोर में आना
- ऑनलाइन सेमीनार
- सूचना सत्र
- टोलफ्री हॉटलाइन।

नेशनल रिटेल एसोसिएशन टीम राष्ट्रीय या दूसरे राज्य के व्यापारों को ऑस्ट्रेलिया भर में अन्य स्थानों में एक बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैन के बारे में सलाह दे सकती है।

और अधिक जानकारी या सलाह के लिए

यह वेबसाइट देखें: dpie.nsw.gov.au/plastics-ban

NRA हॉटलाइन को फोन करें: 1800 844 946

NRA को ई-मेल करें: sustainability@nra.net.au